



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



प्रेषक: सचिव, हरियाणा वि० शि० बोर्ड, भिवानी।	सेवा में, सभी प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक
---	---

क्रमांक:- 476/सै०/2024

दिनांक:-20.02.2024

विषय:-सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2024 से सम्बन्धित प्रवेश-पत्र हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। गत वर्षों में देखने में आया है कि परीक्षार्थियों के विवरणों में त्रुटियां रह जाती हैं तथा परीक्षार्थियों के फोटो/हस्ताक्षर भी गलत पाए जाते हैं जिसे समय रहते ठीक नहीं करवाया जाता है, इस कारण छात्रों को मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है। बोर्ड निर्णय अनुसार परीक्षा आरम्भ होने उपरांत फोटो/हस्ताक्षर ठीक नहीं किये जायेंगे।

इस सन्दर्भ में अन्य दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से हैं इनकी दृढ़ता से पालना की जाए:-

1. प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट A-4 साईज पेपर पर लिया जाना आवश्यक है।
2. प्रवेश-पत्र केवल पात्र परीक्षार्थियों को ही जारी किए जाएं।
3. परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र जारी करने से पूर्व, आवेदन करते समय स्कैन किया गया फोटो चिपकाकर फोटो तथा प्रवेश-पत्र आप द्वारा सत्यापित किया जाना है।
4. दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की अनुमति बोर्ड कार्यालय/विद्यालय/परीक्षा केन्द्र में दस्तावेज जैसे:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मैडिकल प्रमाण-पत्र, लेखक की सत्यापित दो फोटो, लेखक हेतु प्रार्थना-पत्र आदि जमा करवाने उपरान्त ली जानी अनिवार्य है। लेखक से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ई०मेल/दस्ती बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने हैं।
5. परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें। प्रवेश-पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश-पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी को निर्देश दें कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय आई०डी० कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि परीक्षा केन्द्र पर साथ लेकर जाए तथा परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रॉनिक सामान जैसे:- Smart Watch, मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का उपयोग वर्जित है।
7. परीक्षार्थी पर्यवेक्षक द्वारा दी गई उत्तरपुस्तिका के पृष्ठों की संख्या जांच लें। यदि किसी उत्तरपुस्तिका का कोई पृष्ठ/पेज फटा हुआ या गायब मिलता है तो उस अवस्था में परीक्षार्थी का U.M.C माना जायेगा।
8. शहीद सैनिकों के आश्रित, दिव्यांग परीक्षार्थी जो परीक्षा केन्द्र बदलना चाहते हैं एवं खिलाड़ी परीक्षार्थी जो देश-विदेश में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण परीक्षा बाद में देना चाहते हैं उनकी सूचना दिनांक 22.02.2024 तक बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करवाएं।

हस्ता०-

उप-सचिव(सै०/सी०सै०)

कृते:सचिव

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी हिदायतें/निर्देश पढ़ लिए गए हैं तथा इनकी दृढ़ता से पालना की जाएगी। यदि समय रहते कोई त्रुटि ठीक नहीं करवाई जाती है तो सम्बन्धित विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

मुख्याध्यापक/प्राचार्य



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



प्रेस नोट

No-BSEH/ 01/Sec/2024

Date-19.02.2024

Notification No- 1 /2024

विषय :- सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार परीक्षा फरवरी/मार्च 2024 हेतु नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र जारी करने बारे।

सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार परीक्षा फरवरी/मार्च 2024 हेतु नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र दिनांक 20.02.2024 से विद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 व बोर्ड की वैबसाईट पर जारी कर दिये गए हैं। सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर School login Id व password से Log In करते हुए अपने विद्यालय के नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें। स्वयंपाठी (कम्पार्टमेंट, अंक सुधार, अतिरिक्त विषय एवं स्वयंपाठी पूर्ण विषय) परीक्षार्थी भी अपना प्रवेश-पत्र बोर्ड की वैबसाईट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर लें।

सभी विद्यालय मुखिया विद्यालय की लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड किये गए आवश्यक दिशा-निर्देशों को पढ़ते हुए उनका पालन करने का प्रमाण-पत्र देते हुए प्रवेश-पत्र डाउनलोड करेंगे। विद्यालय मुखिया/स्वयंपाठी परीक्षार्थी A-4 साईज पेपर पर रंगीन प्रवेश-पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट लेने उपरांत विवरण भलीभांति जांच कर लें। यदि विवरणों में कोई भी त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए विवरण में शुद्धि करवा लें, बाद में कोई त्रुटि ठीक करवाने बारे दिये गए प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी विद्यालय/स्वयंपाठी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, तो वे विद्यालय/परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश-पत्र जारी करवा लें। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। नियमित परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय आई0डी0 कार्ड/मूल आधार कार्ड एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने मूल आधार कार्ड सहित परीक्षा केन्द्र पर आएं। दिव्यांग परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय/परीक्षा केन्द्र से, आवश्यक दस्तावेज जमा करवाते हुए परीक्षा से पहले लेखक की अनुमती ले लें। लेखक के दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में ई0मेल से या दस्ती जमा करवाने होंगे।

इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वैबसाईट पर जारी हैल्पलाईन नम्बर 01664-254309/ई-मेल आई0डी सैकेण्डरी assec@bseh.org.in, सीनियर सैकेण्डरी assrs@bseh.org.in पर सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष